

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 25/16

संस्थित दिनांक 10.05.2016

श्रीमती भूरी देवी आयु 50 साल पत्नी प्रहलाद सिंह राठौर निवासी हनुमान मंदिर के पास यादव कॉलौनी महावीर पुरा मुरैना म0प्र0

.....आवेदिका

बनाम

1. रामवीर गुर्जर पुत्र जहान सिंह गुर्जर आयु 30 साल निवासी ग्राम गुरीखा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

वाहन चालक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एम.ए-0387

2. जहान सिंह पुत्र नवाब सिंह आयु 60 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुरीखा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

वाहन चालक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एम.ए-0387

.....अनावेदकगण

.....
आवेदिका द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0।

// अधि-नि र्ण य //

(आज दिनांक 05.10.2017 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा-166 सहपठित धारा-140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 08.10.15 को गणेशपुरा की पुलिया के पास एम.एस. रोड मुरैना में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदिका श्रीमती भूरी देवी को आई चोटों से उत्पन्न स्थाई निशक्ता के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 11,50,000/-रुपए ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।
2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.10.15 को दोपहर 03:00 बजे आवेदिका अपने पुत्र पवन तथा ननद सीमा देवी के साथ बाजार सामान लेने आई, गणेशपुरा की पुलिया पर अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर गुर्जर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एम.ए.-0387 को तेजी व लापरवाही

से चलाकर लाया और भूरी देवी को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़ी और उसके सिर व कंधे में चोटें आईं। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मुरैना में की गई जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदिका को जे.ए. अस्पताल में भर्ती कराया गया, दिल्ली में भी इलाज कराया गया। दुर्घटना से आई चोटों के कारण आवेदिका दोनों आंखों से देखने में असमर्थ हो गई। उसे 40 प्रतिशत की स्थाई अपंगता आ गई। दुर्घटना से पूर्व आवेदिका सिलाई एवं कढ़ाई का कार्य करके लगभग 6-7 हजार रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करती थी। दुर्घटना में मस्तिष्क में चोट के कारण उसे दिखाई देना बंद हो गया है और कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो गई है। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. अनावेदकगण की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदिका के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि रामवीर सिंह द्वारा ट्रैक्टर चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। उनके ट्रैक्टर से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। झूठी रिपोर्ट करके उनके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
4. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 08.10.15 दोपहर करीब 03:00 बजे गणेशपुरा की पुलिया पर अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के महिन्द्रा ट्रैक्टर 475 डी.आई. क्रमांक एम.पी.-30-एम.ए.-0387 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदिका को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	प्रमाणित।
2- क्या उक्त कथित दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदिका के सिर व कंधे में चोट आने से स्थाई निशक्ता आई है ? यदि हां तो कितने प्रतिशत ?	स्थायी निशक्ता आना अप्रमाणित परंतु चोटें आना प्रमाणित।
3. क्या, आवेदिका उक्त कथित दुर्घटना	आवेदिका अनावेदक गण से संयुक्त रूप

से आई चोटों के कारण अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की पात्र है? यदि हां तो किससे और कितनी-कितनी राशि ?	से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से 37,600/-रुपए क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित प्राप्त करने की अधिकारी है।
4. सहायता एवं व्यय ?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

सकारण निष्कर्ष:-

वाद प्रश्न क्रमांक- 01 :-

5. आवेदिका भूरी बाई आ०सा०-01 ने यह बताया है कि दिनांक 08.10.15 को दोपहर 03:00 बजे वह अपने पुत्र पवन एवं ननद सीमा देवी के साथ बाजार सामान लेने गई थी। जैसे ही गणेशपुरा की पुलिया के पास पहुंची तभी अनावेदक रामवीर सिंह ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एम.ए.-0387 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी जिससे वह गिर पड़ी जिससे उसके सिर में बाईं तरफ, पंजे में, घुटने में एवं कंधे में चोट होकर खून निकल आया, जिसकी रिपोर्ट उसके पुत्र पवन के द्वारा की गई।
6. भूरी बाई आ०सा०-01 की उक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुए उसके पुत्र पवन आ०सा०-02 ने रामवीर के द्वारा उपरोक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर भूरी बाई को टक्कर मारना एवं उससे भूरी बाई को चोटें आना तथा स्वयं के द्वारा थाना मुरैना में रिपोर्ट करना बताया है।
7. आवेदिका की ओर से संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-16 प्रस्तुत की गई हैं। प्र०पी०-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 08.10.15 को शाम 03:00 बजे दुर्घटना हुई है और 01 घंटे 14 मिनट के बाद ही घटना की रिपोर्ट कर दी गई है। इस प्रकार त्वरित रिपोर्ट है। उक्त रिपोर्ट में यह तथ्य है कि ट्रेक्टर महिन्द्र 475 डी.आई. लाल रंग के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रेक्टर को चलाकर टक्कर मार दी, जिससे भूरी देवी गिर पड़ी जिससे सिर व कंधे में चोट होकर खून निकल आया। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है कि उक्त ट्रेक्टर के चालक ने उपेक्षा अथवा लापरवाही से ट्रेक्टर को चलाकर भूरी बाई को टक्कर मार दी।
8. दूसरे ही दिन दिनांक 09.10.15 को अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर

सिंह गुर्जर के आधिपत्य से उक्त ट्रैक्टर महिन्द्रा 475 डी.आई. लाल रंग का रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.-30-एम.ए.-0387 एवं उसका रजिस्ट्रेशन जप्त किया गया है। प्र०पी०-10 के प्रमाणीकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पुलिस को अनावेदक क्रमांक 02 ने यह प्रमाणीकरण दिया है कि महिन्द्रा ट्रैक्टर 475 डी.आई. लाल रंग का रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.-30-एम.ए.-0387 अनावेदक क्रमांक 02 जहान सिंह के नाम है। जिसे दिनांक 08.10.15 को शाम 03:00 बजे के लगभग चालक रामवीर सिंह गुर्जर अर्थात् अनावेदक क्रमांक 01 चला रहा था और उक्त ट्रैक्टर से ही गणेशपुरा की पुलिया एम.एस. रोड पर भूरी देवी की एक्सीडेंट हुआ था। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि रामवीर सिंह गुर्जर द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से उक्त ट्रैक्टर को चलाकर भूरी देवी को टक्कर मारकर उक्त चोटें पहुंचाई।

9. मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी०-11 से भी ट्रैक्टर का अगला बंपर टूटा पाया गया है। इससे भी दुर्घटना की पुष्टि होती है। पुलिस ने अनुसंधान में प्रथम दृष्टि में अनावेदक क्रमांक 01 रामवीर सिंह गुर्जर को दोषी पाया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उक्त ट्रैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर भूरी देवी को टक्कर मारी गई। उक्त संपूर्ण साक्ष्य के खण्डन में अनावेदकगण द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार आवेदिका की साक्ष्य अखण्डनीय भी है। अतः यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 08.10.15 को दोपहर लगभग 03:00 बजे गणेशपुरा की पुलिया पर अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के महिन्द्रा ट्रैक्टर 475 डी.आई. रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.-30-एम.ए.-0387 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर भूरी देवी को टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की, जिससे उसे चोटें आईं।

वाद प्रश्न क्रमांक- 02 :-

10. भूरी बाई आ०सा०-01 ने यह बताया है कि उसका इलाज जिला चिकित्सालय मुरैना में हुआ और एक्सरे परीक्षण भी जिला मुरैना में हुआ तथा सी.टी.एम.आर.आई दिनांक 15.10.15 को हुई और दिनांक 13.10.15 को अत्यधिक चोट होने के कारण जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में भर्ती करा दिया गया, वह दिनांक 19.10.15 तक भर्ती रही। उसका इलाज चलता रहा और आराम नहीं मिला। दिनांक 15.11.15 को निजी जायलो कार से

गुरुनानक आई चिकित्सालय नई दिल्ली गई वहां पर उसका समुचित इलाज हुआ उसके बाद भी आवेदिका को दोनों आंखों की रोशनी नहीं आई। जिससे आवेदिका के पहले से 40 प्रतिशत स्थाई अपंगता आई। जिसके कारण आवेदिका देखने में असमर्थ हो गई।

11. पवन आ०सा०-02 ने भी उक्त तथ्य बताते हुए यह बताया है कि उसकी मां भूरी बाई को ग्वालियर में इलाज हुआ उसके बाद आंख की रोशनी खत्म होने के कारण दिल्ली इलाज के लिए गए। डॉ० राकेश शर्मा आ०सा०-03 ने दिनांक 02.12.15 को एवं 09.12.15 को जयारोग्य चिकित्सालय का पर्चा साथ लेकर परीक्षण हेतु उनके पास आना बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि परीक्षण में उन्होंने पाया कि उसकी बाई आंख की रोशनी पूरी तरह समाप्त थी तथा उसकी पुतली एवं देखने वाली नाड़ी काम नहीं कर रही थी। दाहिनी आंख में भी रोशनी की न्यूनता थी।

12. डॉ० राकेश शर्मा आ०सा०-03 ने यह भी बताया है कि आंख के पर्दे की जांच के उपरांत उन्होंने पाया कि उसकी बाई आंख की देखने वाली नस पूरी तरह सूख गई थी। उन्होंने यह भी बताया है कि दिनांक 30.12.15 को वे विकलांग बोर्ड के विशेष सदस्य के रूप में बोर्ड की बैठक में शामिल थे। तब भूरी देवी चिकित्सालय के कम्प्यूटरकृत विकलांग प्रमाणपत्र फार्म लेकर बोर्ड में उपस्थित हुई थीं। तब उन्होंने परीक्षण के उपरांत उसे विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया। जिसमें उसकी दृष्टि की कमी के कारण शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत होना उल्लेख किया गया। जो स्थाई प्रकृति की होना बताया है। प्रमाणपत्र प्र०पी०-19 होना बताया है।

13. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-03 में यह स्वीकार किया है कि बाई आंख पर किसी भी चोट का उल्लेख नहीं है। पर्चा प्र०पी०-20 में केवल माथे के ऊपर चोट का उल्लेख है। पैरा-04 में यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०-20 में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किस चोट के कारण आंख का कौनसा पुर्जा खराब हुआ। यह भी स्वीकार किया है कि इस संबंध में माथे के ऊपर आई चोट का एकसरे अथवा आंख के किसी वैज्ञानिक अंदरूनी परीक्षण की रिपोर्ट नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि बोर्ड के सदस्य की हैसियत से कोई वैज्ञानिक परीक्षण या एकसरे नहीं कराया था।

14. प्र०पी०-06 की एम.एल.सी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि

उक्त एम.एल.सी दिनांक 08.10.15 को 03:05 बजे दोपहर में किया गया है। आवेदिका को कुल पांच चोटें होना पाई गई हैं जिसमें से 04x1.5 सेमी का फटा हुआ घाव माथे पर पाया गया है। प्र0पी0-07 के अनुसार उक्त चोट में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया है। प्र0पी0-12 की सी.टी. एम.आर.आई की रसीद दिनांक 15.10.15 से स्पष्ट है कि ऑर्बिट एवं ब्रेन की एम.आर.आई हुई है। परंतु आवेदिका की ओर से उक्त एम.आर.आई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है कि जिससे यह स्पष्ट हो पाता कि आवेदिका को आई माथे पर चोट के कारण आंखों की किसी प्रणाली में कोई क्षति कारित हुई हो। यद्यपि डिस्चार्ज टिकट में ऑप्टिक न्यूरोपेथी का उल्लेख है। परंतु उक्त डिस्चार्ज टिकट दिनांक 13.10.15 से 19.10.15 का है। दिनांक 08.10.15 की स्थिति में दुर्घटना से आई चोटों से आंखों पर कोई प्रभाव पड़ा हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। प्र0पी0-17 एवं 18 के जो पर्चे हैं वह भी दिनांक 02.12.15 एवं 09.12.15 के हैं।

15. डॉ० राकेश शर्मा आ०सा०-03 ने भी यह स्वीकार किया है कि आंख की कोई वैज्ञानिक अंदरूनी परीक्षण रिपोर्ट नहीं है और ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं कि किस चोट के कारण आंख का कौनसा पुर्जा खराब हुआ। विकलांगता प्रमाणपत्र प्र0पी0-19 दिनांक 30.12.15 को जारी किया गया प्रकट है जबकि दुर्घटना 08.10.15 की है। अभिलेख पर आई समस्त सामग्री से ऐसा प्रकट नहीं है कि दुर्घटना में आई चोट के कारण ही आवेदिका की आंख की रोशनी कम हुई है। पवन आ०सा०-02 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-08 में यह स्वीकार किया है कि उसकी मां को पहले सही दिखता था, ऐसा प्रमाणपत्र पेश नहीं किया था। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना में आवेदिका को आई चोटों से स्थाई निशक्तता कारित हुई अपितु यह स्पष्ट है कि आवेदिका को माथे पर, कान में, चेहरे पर, कंधे पर एवं कूल्हे पर चोटें आई हैं, जिनके संबंध में काफी इलाज चला है।

वादप्रश्न क्रमांक 03

16. भूरी बाई आ०सा०-01 ने पैरा-03 में यह बताया है कि दुर्घटना से पूर्व वह सिलाई का कार्य करके 6-7 हजार रुपए प्रतिमाह कमाती थी और वह आय उसकी बंद हो गई है क्योंकि आंखों से दिखाई देना बंद हो गया

है। आवेदिका की ओर से सिलाई का कार्य किए जाने के संबंध में कोई भी हिसाब किताब पेश नहीं किया है, न ही ऐसा बताया है कि वह कितने दिन में कितने कपड़े सिल लेती थी और किस कपड़े की कितनी सिलाई लेती थी तथा वर्तमान में किन किन लोगों के कपड़े वह सिल रही थी और किसके कपड़े उसके पास थे। अन्य किसी साक्षी ने भी यह नहीं बताया है कि भूरी बाई सिलाई के कार्य से 6-7 हजार रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करती थी। ऐसे भी किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है कि जिसके कपड़े भूरी बाई ने सिले हों। सिलाई की राशि के संबंध में कोई रसीद आदि भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका की सिलाई से 6-7 हजार रुपए प्रतिमाह की आय होना प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है। अतः यदि यह मान भी लिया जाए कि आवेदिका की आंखों की रोशनी कुछ कम हो गई है तब भी उससे आवेदिका की अर्जन क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ना प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है।

17. आवेदिका को उपरोक्त चोटें आई हैं, उसका लंबा इलाज चला है।

वह दिनांक 13.10.15 से दिनांक 19.10.15 तक अर्थात् लगभग सात दिवस भर्ती रही है और उसका इलाज चला है। उसके माथे पर फटा हुआ घाव आया है अर्थात् सिर में चोट है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को मानसिक वेदना एवं शरीरिक पीडा की मद में 15,000/-रुपए की राशि दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त राशि आवेदिका को दिलाई जाती है। वह सात दिवस भर्ती रही है तब निश्चित तौर पर उसने विशेष आहार लिया होगा तथा मुरैना से ग्वालियर आने जाने में भी परिवहन व आवागमन में राशि खर्च हुई होगी। अतः विशेष आहार तथा परिवहन व आवागमन के मद में 5,000/-रुपए की राशि आवेदिका को दिलाई जाती है।

18. वह सात दिवस भर्ती रही है और उसके बाद दिसंबर माह तक उसका इलाज चला है। जिससे कि प्रकट है कि वह लगभग तीन माह तक अपना सामान्य कार्य करने से विरत रही होगी ऐसी स्थिति में अटेण्डर के मद में 5,000/-रुपए की राशि उसे दिलाई जाती है। भूरी बाई की सिलाई आदि से कोई आय होना प्रमाणित नहीं है। परंतु गृहिणी के रूप में उसकी सेवा के योगदान को उसकी आय के आंकलन के रूप में गोहद के तहसील क्षेत्र को देखते हुए 2,500/-रुपए प्रतिमाह की दर से किया जाना न्यायोचित है। अतः इस दृष्टि से भूरी बाई की आय 2,500/-रुपए मासिक मान्य की

जाती है। इस दृष्टि से तीन माह की आय की हानि 7,500/-रुपए भी आवेदिका को दिलाई जाती है।

19. आवेदिका को उसके इलाज का व्यय भी दिलाया जाना न्यायोचित है। आवेदिका भूरी बाई आ०सा०-01 ने पैरा-02 में निजी जायलो कार से नई दिल्ली जाना बताया है। परंतु प्र०पी०-21 के बिल पर वाहन जायलो का कोई उल्लेख नहीं है। प्र०पी०-21 में वाहन कहां से कहां गया और वापिस कहां से कहां तक आया इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। पवन आ०सा०-01 ने पैरा-07 में गाड़ी मय डीजल भाड़े के 15,000/-रुपए पर ले जाना बताया है। परंतु उक्त बिल 12,900/-रुपए का है इस कारण उक्त बिल की पुष्टि साक्षी की साक्ष्य से कतई नहीं हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्र०पी०-21 की राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है। आवेदिका की ओर से प्र०पी०-27 लगायत प्र०पी०-29 के रेलयात्रा के टिकट प्रस्तुत किए हैं परंतु स्वयं भूरी बाई आ०सा०-01 ने पैरा-08 में यह बताया है कि उसने कभी भी रेल में बैठ कर यात्रा नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्र०पी०-27 लगायत प्र०पी०-29 की राशि भी नहीं दिलाई जा सकती है।
20. बिल/केशमेमो प्र०पी०-23 लगायत प्र०पी०-25 मुरैना के हैं तथा प्र०पी०-26 ग्वालियर का है। प्र०पी०-23 लगायत प्र०पी०-26 के केशमेमो का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें कोई दिनांक नहीं लिखी है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त राशि आवेदिका को नहीं दिलाई जा सकती।
21. इलाज के व्यय के रूप में प्र०पी०-12 की एम.आर.आई की रसीद 5,000/-रुपए की है। प्र०पी०-13 की रसीद 100/-रुपए की है। उक्त कुल राशि 5,100/-रुपए आवेदिका को इलाज के व्यय के रूप में दिलाई जाती है।
22. इस प्रकार आवेदिका अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	उपचार में किए गए व्यय की कुल राशि	5,100/-
2	शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वेदना के मद में	15,000/-
3	अटेंडर के मद में	5,000/-
4	तीन माह की आय की हानि	7,500/-

5	विशेष आहार एवं आवागमन एवं परिवहन के मद में	5,000 / -
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	37,600 / -

वादप्रश्न क्रमांक-04 सहायता एवं व्यय:-

23. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका अपना मामला आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रही है। अतः यह क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आवेदिका के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 आवेदक को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि **37,600 / - (सैंतीस हजार छः सौ) रूपए** अधिनिर्णय दिनांक 05.10.2017 से दो माह के अंदर अदा करे।
2. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 10.05.2016 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आवेदिका को साधारण ब्याज की राशि भी अदा करे।
3. आवेदक को क्षतिपूर्ति की राशि एवं उस पर ब्याज की संपूर्ण राशि बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
4. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 1,000 / - रूपए (एक हजार रूपए) निर्धारित किया जाता है।
उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)